महिलाओं के लिए विभागीय योजनाएं

राज्य प्रायोजित योजनाएं

1. **बेटी है अनमोल योजनाः–**

बी. पी. एल. परिवार में पैदा होने वाली दो बेटियों के जन्म के उपरान्त 10,000/–रू0 की राशि बेटी के जन्म होने पर अठारह वर्ष की आयु तक Fixed deposit के तौर पर बेटी के नाम पर डाक घर में जमा करवाए जाते हैं, तथा पात्र बेटी की शिक्षा के दौरान पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा तक छात्रवृति 300 से 1500 रूपये तक प्रदान की जाती है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्ककरें:–सम्बधित आंगनवाडी कार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(क) पर देखें।

2. **मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना :–**

इस योजना के अन्तर्गत ऐसी बेसहारा लड़कियॉ जिनके पिता शारीरिक/मानसिक असमर्थता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होने के कारण बिस्तर पर हो या परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियों को जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 35,000/– रूपये से अधिक न हो अनुदान राशि,मु0 25,000/**01.04.2013**) रूपये प्रति लड़की शादी के लिए अनुदान के रूप में दिया जाता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बंधित आंगनवाडी कार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(ख) पर देखें।

3. **महिलाओंको स्वंय रोजगार सहायताः–**

ऐसी महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 35,000/–रू0 से अधिक न हो तथा अपना कोई छोटा कार्य करना चाहती हो उन्हें स्वंय रोजगार के अन्तर्गत 2500/– रू0 तक का अनुदान दिया जाता है

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बधित आंगनवाडी कार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(ग) पर देखें।

4. **महिला विकास निगमः–**

प्रदेश सरकार द्वारा सोलन में महिला विकास निगम की स्थापना की गई है । इस निगम की स्थापना का उद्देश्य महिला को स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु बैकों से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना है ।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

5. **विधवा पुर्नविवाह :–**

विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 से विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की गई है । इसका उददेश्य विधवाओं का पुनर्विवाह कर उनका पुनर्वास करना है । अनुदान राशि मु0 50,000(**21.05.2013 से**)रूपये प्रति विधवा की शादी के लिए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बधित आंगनवाडी कार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(घ) पर देखें।

6. मदरटेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजनाः–

इस योजना का मुख्य उददेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण/ पढ़ाई–लिखाई हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाऐं या ऐसी निःसहाय/बेसहारा महिला जिनकी वार्षिक आय 35,000/–रू से कम है या ऐसी महिला जिसका पति पिछले दो 0"र्षों से लापता हों और सम्बन्धित पुलिस थाना में उसके न मिलने की रिपोर्ट हो तथा जिन के बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हो, के पालन पोषण हेतू 3000/– रूपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाएगी। सहायता केवल दो बच्चों तक दी जाएगी।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बंधित आंगनवाडीकार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(च) पर देखें।

7. **नारीसेवासदनः–**

असहाय/निराश्रित तथा पथ–भ्रष्ट महिलाओं को जो कि नैतिक खतरे में हो , के लिए विभाग द्वारा, मशोबरा में नारी सेवा सदन चल रहा हैं । इस सदन में रहने वाली प्रवासियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाती है । आवासियों को सिलाई–कटाई में प्रशिक्षण दिया जाता है , ताकि वे सदन छोड़ने के बाद भी अपनी रोजी–रोटी कमा सकें । सदन छोड़ने पर ऐसी प्रत्येक महिला को पुनर्वास के लिए 20,000/–रू0 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(छ) पर देखें।

8- fo'k"k efgyk mRFkku ;kstuk

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपराधिक अपील संख्या 13.5.2010, ष्पीर्षक बुद्ध देव कर्मास्कर और बंगाल की राज्य सरकार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देष दिये हैं कि नैतिक खतरों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रषिक्षण को प्रावधान किया जाए। हिमाचल प्रदेष राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिषा निर्देषों के अनुसार विषेष महिला उत्थान योजना चलाई है, जिसके अन्तर्गत इन महिलाओं को औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(ज) पर देखें।

9- njkpkj ihfM+rk dh fy, foRrh; lgk;rk ,oa lgk;d lsok,a

बलात्कार, महिलाओं पर होने वाला एक जघन्य अपराध है, जो कि केवल षारीरिक अवस्था पर ही नहीं अपितु दीर्घ काल मे उसके व्यक्तिगत, सार्थक विकास एवं क्षमताओं को समाज में उकेरने और उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जिसका निराकरण किया जाना अत्यन्त आवष्यक है, ताकि वह सम्मान जनक एंव सार्थक जीवन जी सकें। इसके लिए प्रदेष सरकार द्वारा दुराचार पीड़ित महिलाओं तथा बच्चियों को 75,000/– रू0 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो कि विषेष परिस्थितियों में एक लाख रूपए तक प्रदान की जाती है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध–(झ) पर देखें।

10- efgyk fodkl iksRlkgu ;kstuk

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों/संगठनों को जो महिलाओं के विकास एव सषक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य षिक्षा,खेल, सामाजिक सेवा तथा कला व संस्कृति मे उत्कृष्ट कार्य कर रही हों उनको पुरस्कृत किया जाता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध–(ट) पर देखे।

11. माता शबरी महिला संशक्तिकरण योजना:–

बी. पी. एल. परिवार की अनुसूचित जाति की महिला जिनकी okf"kZd आय 35000/– रू0 से अधिक न हो को लकड़ी ईंधन से निजात पाने के उद्‌देश्य से जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 1300/– रू0 होगी यह उपदान गैस कुनैक्शन एंव चुल्हे खरीदने पर प्रदान किया जाता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–सम्बधित आंगनवाडी कार्यकर्ता /सुपरवाईजर / जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध–(ठ) पर देखे।

dUnh; ik;kftr ;ktuk,a

¼12½ bfnjk xk/kh ekr`Ro lg;kx ;ktuk%&

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो कि जिला हमीरपुर में अग्रणी आधार पर 2010–2011 से चलाई गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आई.सी. डी. एस. और आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इस योजना का लाभ गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को छः हज़ार रूपये तीन चरणों में दिया जाता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(ड) पर देखें।

(13) jktho xk/kh fd'kkjh l'kfDrdj.k ;ktuk ¼lcyk½%&

सबला योजना हिमाचल प्रदेष में 2010–11 में जिला सोलन,कुल्लू, कांगड़ा, चम्बा में चलाई गई। इस योजना के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिषत राषि वहन की जाती है जबकि 10 प्रतिषत राषि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की किषोरियों को लाभ प्रदान करती है विषेषकर वह किषोंरियां जो स्कूल नहीं जाती है, उन्हें इसके अन्तर्गत जीवन कौषल तथा व्यवसायिक प्रषिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध – (ढ) पर देखें।

(14) fd'kkjh 'kfDr ;ktuk%&

किषोरी षक्ति योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है यह योजना प्रदेष के 8 जिलों षिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर तथा लाहौल–स्पिति में चलाई जा रही है। यह योजना किषोरियों के स्वस्थ्य में सुधार लाने, पोषाहार स्तर को उन्नत करना तथा स्थानीय स्तर पर किषोरियों को व्यवसायिक निपुणता प्रषिक्षण प्रदान करना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

इस योजना की विस्तार से जानकारी अनुबन्ध –(त) पर देखें

cPpk ls lEcfU/kr ;kstuk,

15. lefdr cky lj{k.k ;kstuk%&

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ऐसे तन्त्र का सृजन किया गया है जो दक्षतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता हैं। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चें जिन्हें देख–रेख और संरक्षण की आवष्यकता है उन्हे बाल बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र पारिवारिक वातावरण में पालने हेतु रखा जाता है ताकि उन्हें बाल बालिका आश्रमों प्रवेष हेतु बाध्य ना होना पड़े। इसके लिए विभाग द्वारा पात्र परिवारों को प्रति बच्चा 500 रूपये प्रति माह प्रदान किए जाते है। अगर कोई बालक/ बालिका आश्रमों में प्रवेष लेना चाहते हैं तो विभाग द्धारा बाल /बालिका आश्रमों में प्रवेष दिया जाता है, जिसमें बच्चों को मुफ्त षिक्षा ,भोजन तथा स्वास्थ्य की निःषुल्क सुविधा प्रदान की जाती हैं ।

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

विस्तृत जानकारी के लिए अनुबन्ध–(थ) देखे।

16- lefdr cky fodkl ;kstuk

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चो को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार प्रदान किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वषाला षिक्षा ,स्वास्थ्य जांच, तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से टीकाकरण करवाया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेष में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 सेवाएं बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को प्रदान की जा रही है।

1. पोषण एवं स्वास्थ्य षिक्षा
2. टीकाकरण
3. अनुपूरक पोषाहार
4. स्वास्थ्य जांच
5. षालापूर्वक षिक्षा
6. सन्दर्भ सेवाएं

योजना की अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः– जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

विस्तृत जानकारी के लिए अनुबन्ध– (द) देखे।

17. cPpk@efgykvk ls lacfU/kr vf/kfu;e%&

(i) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुबन्ध (ध)

(ii) महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (प)

(iii) बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012 पोस्को अनुबन्ध (फ)

(iv) कार्यस्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम 2013 अनुबन्ध (ब)

(v) किषोर न्याय अधिनियम 2006 अनुबन्ध (भ)

(vi) हिमाचल प्रदेष विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 अनुबन्ध (म)

(18) अन्तर्विभागीय वर्तमान निगरानी व्यवस्था अनुबन्ध (य)